प्रतिलिपि आदेश दिनांक 20-5-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्रकरण निग0 3844-तीन/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 31-8-13 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तह0 व जिला टीकमगढ़ म0प्र0 प्र0क्र0 82/अपील/12-13.

1- मोहन तनय हज्जू ढीमर
निवासी ग्राम हजूरी नगर तहसील व
जिला टीकमगढ़ म0प्र0 अन्य-1 --- आवेदकगण

विरूद्ध

पैलवान अहिरवार तनय बल्लुआ
निवासी ग्राम हजूरी नगर तहसील व जिला
टीकमगढ़ म0प्र0 अन्य-1 --- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 3844/III/13 जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.5.14	अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 82/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.8.2013 से परिवेदित होकर म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकों के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये, उन्होंने बताया कि नायव तहसीलदार टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 115 अ 19/76-77 में पारित आदेश दिनांक 17-6-80 के विरूद्व अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन देकर एंव विलम्ब के स्पष्ट कारण दर्शाकर अपील की गई थी, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ ने विलम्ब के आधार पर अपील निरस्त करने में त्रृटि की है इसलिये निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख मॅगाया जावे। 3/ अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 82/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.8.2013 के अवलोकन पर पाया गया कि नायव तहसीलदार टीकमगढ व्दारा प्रकरण कमांक 115 अ 19/76-77 में पारित आदेश दिनांक 17-6-80 के विरूद्व प्रथम अपील 31 वर्ष 11 माह 20 दिन पश्चात् प्रस्तुत की गई एंव विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु जो आधार बताये गये, सह समाधानकारक न पाते हुये बेरूमयाद अपील प्रस्तुत होना मान कर अनुविभागीय अधिकारी	

टीकमगढ़ ने आदेश दिनांक 31–8–13 से निरस्त किया है।

4/ निगरानी मेमो के तथ्यों अनुसार नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 17–6–80 से भूमि सर्वे नंबर 220 रकबा 0.389 एंव 444 रकबा 0.219 हैक्टर का पटटा बल्दुआ पुत्र भूरा चमार को किया गया है और अब यह भूमि अनावेदक के नाम है जो संभवतः पटटाग्रहीता बल्दुआ की मृत्यु उपरांत उसके पुत्र अनावेदक पैलवान अहिरवार के नाम हुई है, जब पटटा वर्ष 1980 में हुआ है और पटटा प्राप्ति उपरांत पटटेदार को मौके पर वर्ष 1980 में ही कब्जा मिला है । पटटा प्राप्ति के उपरांत उसके व्दारा, उसकी मृत्यु उपरांत उसके पुत्र व्दारा मौके पर कृषि कार्य किया जा रहा है, तब यह नहीं माना जा सकता कि आवेदकगण को उक्तांकित भूमि का पटटा दिये जाने की जानकारी 31 वर्ष 11 माह तक नहीं हुई, जिसके कारण अवधि विधान की धारा–5 में दिये गये विवरण को अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ ने समाधानकारक न होना मानने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य